न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

पीठासीन अधिकारी– पीयूष समारिया, IAS
प्रकरण संख्या 03 / 2026
जीसीएमएस नं0 2026 / 57

सुश्री दिव्या शर्मा पुत्री सुनील शर्मा निवासी वार्ड, नम्बर–01, स्टॉक रोड, मोडक स्टेशन, कोटा जिला कोटा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अति0 जिला कलक्टर कोटा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः– 10.03.2026

अपील का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सुश्री दिव्या शर्मा पुत्री सुनील शर्मा निवासी वार्ड, नम्बर–01 स्टॉक रोड, मोडक स्टेशन, कोटा जिला कोटा ने दिनांक 04.11.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहां प्रार्थना पत्र बाबत नेहा जैन पत्नि स्व0 अश्विन जैन निवासी इन्द्रा विहार कोटा के पति की कोरोना में दिनांक 27.5.2021 को मृत्यु होने पर कोरोना सहायता के तहत सहायता के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी ।

प्रार्थी अपीलांट के परिवाद दिनांक 04.11.2025 से चाही गई सूचना नहीं मिलने पर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.2.2026 को प्रस्तुत की गई जो दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा से टिप्पणी ली गई । लोक सूचना अधिकारी ने अपनी टिप्पणी पत्रांक / प्रथम अपील / प–241 / 78 दिनांक 27.02.2026 से निवेदन किया है कि आवेदक सुश्री दिव्या शर्मा पुत्री सुनील शर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25.11.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ । आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन में वांछित सूचना का संबंध सहायता अनुभाग से संबंधित होने के कारण प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग को पत्र लिखा गया । सहायता अनुभाग के पत्रांक / 1077 दिनांक 18.12.2025 से आवेदक को सूचना उपलब्ध करा दी गयी है । चूंकि आवेदक को वांछित सूचना पर की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने के उपरान्त इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया है । अपीलांट को भी सुनवाई हेतु पत्रांक / रीडर / डीएम / 2026 / 26 दिनांक 12.01.2026 से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया किन्तु प्रार्थी अपीलांट अनुपस्थित है ।

जिला कलक्टर
कोटा

हमने प्रार्थी अपीलांट की अपील का अवलोकन किया । प्रार्थीया अपीलांट द्वारा नेहा जैन पत्नि स्व0 अश्विन जैन निवासी इन्द्रा विहार कोटा के पति की कोरोना में दिनांक 27.5.2021 को मृत्यु होने पर कोरोना सहायता के प्रस्तुत आवेदन पर की गई कार्यवाही के सम्वन्ध में चाही गई सूचना सहायता अनुभाग से प्राप्त की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा अपने पत्रांक/आरटीआई/2025/ 570 दिनांक 18.12.2025 से प्रार्थी अपीलांट सुश्री दिव्या शर्मा को भिजवाई जा चुकी है । अपीलांट को वांछित सूचना भिजवाई दी जाने से अपील अपीलांट खारिज योग्य पाते है ।

अतः प्रार्थीया अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करा दी जाने से अब इस अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा